



पत्रांक: कुलसचिव कार्यालय/सि०वि०वि०/1669/2022
सेवा में,

दिनांक 17/01/2022

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश एवं उपाय।
महोदय,

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के संलग्न आदेश संख्या-84/सत्तर-3-2022-8(20)/2020 दिनांक 12.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा० कुलपति जी आदेशानुसार इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त सरकारी/निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये।

अतः समस्त सम्बद्ध राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे साथ-साथ कोविड-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक: कुलसचिव कार्यालय/सि०वि०वि०/1669/2022

दिनांक 17/01/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर एवं बस्ती मंडल।
- 2-अधिष्ठाता- कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
- 3-सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 4-निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 5-सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश एवं उपाय।

महोदय,


कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के संलग्न आदेश संख्या-70/2022-सीएक्स-3 दिनांक 10.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त सरकारी/निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये।

3- अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों के साथ-साथ कोविड-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,



(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या- 04 (1)/सत्तर-3-2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ०प्र०।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(हरिन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।